कार्यालय उप वन संरक्षक जोधपुर

Project Name : Diversion of 0.1750 ha. Forest Land for Construction of 220kV S/C Transmission line on D/C towers laying between proposed ABCSIPL 300MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220kV GSS at Near Village - Badi Sird, Tehsil-BAP, District – Jodhpur in the State of Rajasthan ((Total Length 11.540 km)

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/153699/2022

Category of the Project: Transmission Line

Area of forest land proposed for diversion (in ha.): 0.1750 Ha.

दिनांकः– **13.07.2023**

ए.बी.सी. सोलर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली को पावर ग्रीड सब स्टेशन तक पहुचानें हेतु 220KV. पारेषण लाइन प्रस्तावित की गई थी परन्तु PGCIL ग्रीड सब स्टेशन एवं ए.बी.सी. सोलर प्लांट के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (NH–15) गुजर रहा है एवं राजमार्ग का R.O.W रक्षित पट्टी घोषित किया हुआ है अतः ग्रीड सब स्टेशन एवं सोलर प्लांट के मध्य प्रस्तावित लाइन बिना राष्ट्रीय राजमार्ग को क्रॉस किये परियोजना का कार्य प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा पूर्ण नहीं किया जा सकता है।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गैर वन भूमि में विद्युत पोलों/टावरों का निर्माण किया जा रहा था एवं प्रचलित राष्ट्रीय राजमार्ग को दोनों तरफ गैर वन भूमि में भी कम्पनी द्वारा टावरों का निर्माण कर दिया गया था एवं स्टाफ द्वारा कम्पनी के प्रतिनिधि को अवगत करवा दिया गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ के पोल/टावर पर विद्युत तार वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रेषित कर स्वीकृति के उपरान्त ही किया जा सकता है अतः इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव दिनांक 26.03.2023 को परिवेश पोर्टल पर जरिये प्रस्ताव संख्या FP/RJ/TRANS/153699/2022 के आवेदन कर दिया गया था।

उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रेषित करने के उपरान्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक 25. 04.2022 को हार्ड प्रतिलिपी भी कार्यालय में प्रेषित कर दी गयी थी एवं इसी दौरान कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा 27.04.2022 को राष्ट्रीय राजमार्ग (NH–15) के दोनों तरफ गैर वन भूमि में स्थित टावरों पर तार खींचने का कार्य कर दिया गया।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव, गैर वानिकी कार्य करने से पहले प्रेषित कर दिये गये थे परन्तु प्रेषित प्रस्ताव में सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी अतः उक्त कार्य वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

Signature valid
Digitally signed by Ajit Uchoi
Designation: Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.07.13 13:05:38 IST
Reason: Approved

कृ.पृ.उ.

उप वन संरक्षक
जोधपुर

RajKaj Ref No. : 4273909

दिनांक 28.05.2022 को वनपाल द्वारा अवगत करवाने के उपरान्त क्षेत्रीय वन अधिकारी बाप द्वारा उक्त कार्य को वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन मानने के कारण राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत एफ.आई.आर. जारी की गयी एवं प्रयोक्ता अभिकरण को समन करवाया गया तथा उल्लंघन/जुर्माना राशि अक्षरे 75,000/– प्रयोक्ता अभिकरण से वसूली गयीं।

चूंकि स्टाफ के द्वारा लाइन निर्माण कार्य करने के तुरंत बाद ही एफ.आई.आर काटी गयी थी एवं उच्च कार्यालय को भी इस संदर्भ में अवगत करवा दिया गया था इसलिए प्रथम दृष्टया स्टाफ दोषी प्रतीत नहीं होता है परन्तु स्टाफ को भविष्य में सजग रहने एवं इस तरह के कार्य की भविष्य में पुनरावर्ती ना हो इस सन्दर्भ में क्षेत्रीय वन अधिकारी, बाप को निर्देशित किया गया है।

प्रस्तावित परियोजना लोकहित से जुडी हुई है एवं वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में कोई भी वृक्ष बाधित नहीं हुआ एवं उक्त कार्य प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल नियमों की जानकारी के अभाव में लोकहित में सम्पादित कर दिया गया है अतः लोकहित को मध्य नजर रखते हुए स्वीकृति की अनुशंषा इन शर्तो के साथ की जाती है कि :–

1. राजस्थान सरकार/भारत सरकार द्वारा उल्लंघन स्वरूप जो भी शर्तें/राशि अधिरोपित की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी शर्तो की पालना करनी होगी एवं अधिरोपित राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वहन की जावेगी।

2. भविष्य में इस तरह के गैर वानिकी कार्य की पुनरावर्ती ना हो इस आशय का प्रयोक्ता अभिकरण पृथक से वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

भवदीय

(अजीत उचोई)
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Signature valid
Digitally signed by Ajit Uchoi
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.07.13 13:05:38 IST
Reason: Approved

उप वन संरक्षक
जोधपुर

RajKaj Ref No. : 4273909

कार्यालय उप वन संरक्षक जोधपुर

क्रमांकः— दिनांकः— 13.07.2023

प्रस्ताव का विवरण : **"Diversion of 0.1750 ha. forest land for Construction of 220 kV S/C Transmission line on D/C towers laying between proposed ABCSIPL 300 MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220kV GSS at Near Village - Badi Sird, Tehsil-BAP, District – Jodhpur in the State of Rajasthan".**

प्रस्ताव संख्या : FP/RJ/TRANS/153699/2022

प्रस्ताव दिनांक : 23/03/2022

प्रस्तावित क्षेत्रफल : 0.1750 hectare

उल्लंघन स्वरूप अधिरोपित होने वाली शाप्ती का विवरण

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव 0.1750 हैक्टेयर के लिए प्रेषित किया गया है एवं सम्पूर्ण आवेदित वन क्षेत्रफल ही उल्लंघन की श्रेणी में आता है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 29.01.2018 के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करने पर उल्लंघित दिनांक से उल्लंघित क्षेत्र की एन.पी.वी. राशि प्रतिवर्ष की दर से अधिक 5 वर्षो तक मय 12 प्रतिशत ब्याज के साथ देय होगी।

अधिरोपित शास्ति का विवरण निम्नलिखित हैः—

उल्लंघन अवधि— 1 वर्ष 2 महीना

उल्लंघन क्षेत्रफल— 0.175 हैक्टेयर

एन.पी.वी. धनराशि— 6,70,140/—

प्रस्तावित शास्ति— 2,34,549 /- (0.175 x 2x670140)

नोट :— प्रस्तावित शास्ति के अलावा प्रयोक्ता अभिकरण को 12 प्रतिशत ब्याज भी जमा करवाना होगा जिसकी गणना सैद्धान्तिक स्वीकृति के पश्चात डिमान्ड नोट जारी करने के दौरान उपलब्ध करवा दिया जावेगा।

भवदीय

(अजीत उचोई)
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by Ajit Uchoi
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.07.13 13:05:38 IST
Reason: Approved

उप वन संरक्षक
जोधपुर

RajKaj Ref No. : 4273909